न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 01/2021

1. विश्वास पुत्र भूपेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा हाल सहकार नगर खातीपुरा मार्ग, झोटवाडा, जयपुर।

:— वादी

ब ना म

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा हाल सहकार नगर खातीपुरा मार्ग, झोटवाडा, जयपुर।
2. फालशाई पुत्री भूपेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा हाल सहकार नगर खातीपुरा मार्ग, झोटवाडा, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बावत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : वादी
वकील श्री श्रवण सहारण ।। : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 25-02-21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा डाबडी के खाता सं0 317/307 के खसरा सं0 341/1 की 2.554है0, खसरा सं0 622 की 4.223है0, खसरा सं0 637 की 3.086है0 कुल 9.863है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मोजा डाबडी के खाता सं0 187/169 के खसरा सं0 157 की 11.090है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह के नाम से 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता पृथ्वीसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। पृथ्वीसिंह से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:49 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश [illegible] सं 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण [illegible] द्वारा राजीनामा पेश किये जाने [illegible] की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु विश्वास पुत्र भूपेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डाबडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डाबडी प्रदर्श

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

1. सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम डाबडी के खाता सं0 187/169 संवत 2071–74 प्रदर्श
2. रोही मोजा डाबडी के खाता सं0 317/307 संवत 2071–74 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 1 में वारिसप्रमाण पत्र में भूपेन्द्रसिंह के एक पुत्र विश्वास व एक पुत्री फालशाई के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा डावडी के खाता सं0 317/307 के खसरा सं0 341/1 की 2.554है0, खसरा सं0 622 की 4.223है0, खसरा सं0 637 की 3.086है0 कुल 9.863है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मोजा डाबडी के खाता सं0 187/169 के खसरा सं0 157 की 11.090है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह के नाम से 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा डावडी के खाता सं0 317/307 के खसरा सं0 341/1 की 2.554है0, खसरा सं0 622 की 4.223है0, खसरा सं0 637 की 3.086है0 कुल 9.863है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मोजा डाबडी के खाता सं0 187/169 के खसरा सं0 157 की 11.090है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह के नाम से 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी विश्वास व प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-02-21 द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:49 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 01/2021

1. विश्वास पुत्र भूपेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डावडी त0 भादरा हाल सहकार नगर खातीपुरा मार्ग, झोटवाडा, जयपुर।

:– वादी

ब ना म

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी डावडी त0 भादरा हाल सहकार नगर खातीपुरा मार्ग, झोटवाडा, जयपुर।
2. फालशाई पुत्री भूपेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डावडी त0 भादरा हाल सहकार नगर खातीपुरा मार्ग, झोटवाडा, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण।। की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा डाबडी के खाता सं0 317/307 के खसरा सं0 341/1 की 2.554है0, खसरा सं0 622 की 4.223है0, खसरा सं0 637 की 3.086है0 कुल 9.863है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मोजा डाबडी के खाता सं0 187/169 के खसरा सं0 157 की 11.090है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह के नाम से 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी विश्वास व प्रतिवादी सं0 1 भूपेन्द्रसिंह व बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25-02-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:49 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner